

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2069]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2014/आश्विन 21, 1936

No. 2069]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2014/ASVINA 21, 1936

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

का. आ. 2614(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड - 3, उप-खंड (ii) दिनांक 15, जनवरी, 2014, में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की 31, दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 101 (अ), जिसे प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) यथाअपेक्षानुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि उक्त प्राचीन संस्मारक के निकट सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी गई थी;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपियां 15, जनवरी, 2014, को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी घोषणा पर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

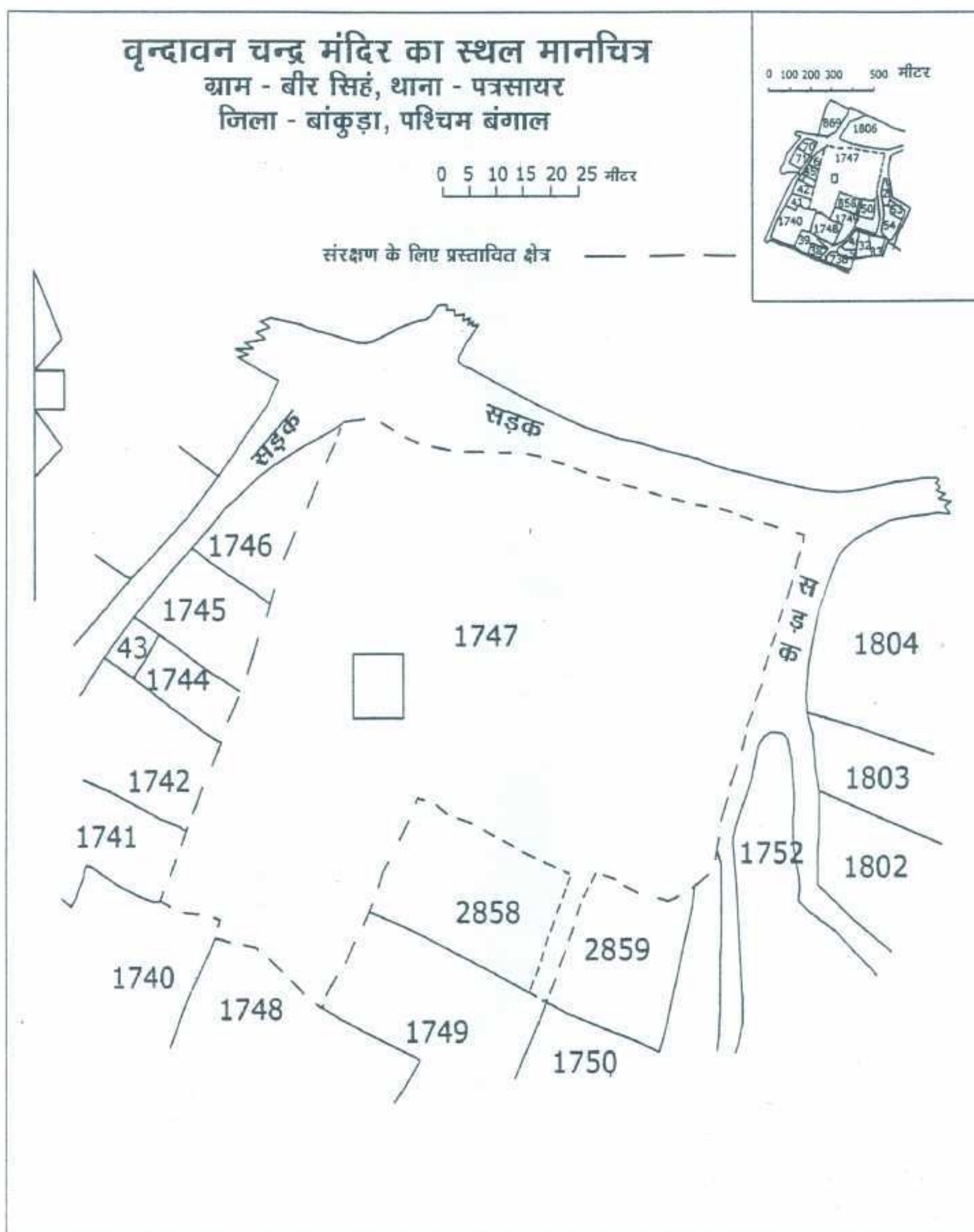
अतः केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958, की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इसके साथ संलग्न स्थल मानचित्र तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

अनुसूची

1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	7.
राज्य	जिला	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में शामिल राजस्व खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	स्वामित्व	सीमाएं तथा खसरा संख्या
पश्चिम बंगाल	बांकुडा	बीरसिंह	वृन्दावनचंद्र मंदिर	1747	167 छटाक = 72745 वर्ग फीट = 6758 वर्ग मीटर	श्री श्री राधा वृन्दावन ठाकुर जेउ	उत्तर :- सड़क दक्षिण : दाग संख्या 1740 (भाग), 1746, 2858, 1749, 2859 पूर्व :- सड़क पश्चिम : दाग संख्या 1 1741, 1742, 1744, 1745, और 1746

[फा. सं. 2/7/2011-स्मारक]

राकेश तिवारी, महानिदेशक



MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

S.O. 2614(E).—Whereas, by the notification of the Central Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 101(E), dated the 31st December, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 15th January, 2014, the Central Government gave two months' notice of its intention to declare the ancient monument specified in the schedule annexed to the notification, to be of national importance and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monument as required by sub section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

WHEREAS copies of the said Gazette notification were made available to the public on 15th January, 2014;

WHEREAS, no objection has been received from the public to the making of such declaration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, the Central Government hereby declares the said ancient monument, specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of the monument	Revenue Plot Number included under protection	Areas	Ownership	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
West Bengal	Bankura	Birsingha	BrindabanChandra Temple	1747	167 Satak = 72745 Square feet = 6758 Square Meter	Shri Shri Radha Brindaban Thakur Jeu.	North: Road South: Dag No.1740 (P), 1746, 2858, 1749, 2859 East: Road West: Dag No.1741, 1742, 1744, 1745, and 1746

[F. No. 2/7/2011-M]

RAKESH TEWARI, Director General

